रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234557
CG-DL-E-28032022-234557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/ चैत्र 7, 1944,
No. 220] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

सा.का.नि 223(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नियंत्रणाधीन आयुक्तालय में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (एमटीएस(समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क आयुक्तालय बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (एमटीएस) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 है।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

7. **विशेष उपबंध.**—(1) प्रत्येक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण (सीसीए) का इसका स्वयं का प्रथक काडर होगा, जब तक कि अन्यथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विहित न किया जाए।

(2) राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक निदेशालय की स्वीकृत पद संख्या संबंधित छेत्र (जोन) के काडर नियंत्रक प्राधिकारी से सर्जित हुई है और उसमे की गई है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहुकार्य कर्मचारिवृन्द	506* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(रु. 18,000-56,900) ।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच । आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी – **(I)** एकल आयुक्तालय अर्थात् ऐसे आयुक्तालय जिनमें कोई सामान्य काडर या निदेशालय नहीं है। (1) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला मुख्यालय में अपर आयुक्त - अध्यक्ष (2) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला मुख्यालय में अधिमानत: ज्येष्ठतम उपायुक्त – सदस्य (3) आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला आयकर उपायुक्त या सहायक आयकर उपायुक्त – सदस्य **(2)** संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् दो या अधिक आयुक्तालय जिनका सामान्य काडर हो। (1) संबद्ध आयुक्त के पारस्परिक परामर्श से काडर नियत्रंण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अधिकतम 3 के अधीन रहते हुए प्रत्येक आयुक्तालयों में से अपर आयुक्त (उनमें से ज्येष्ठतम) — अध्यक्ष (2) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला मुख्यालय में अधिमानत: ज्येष्ठतम आयुक्त – सदस्य (3) आयकर आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला आयकर उपायुक्त या	लागू नहीं होता।

आयकर सहायक उपायुक्त – सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/03/2012-प्रशासन-III बी]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2022

G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Customs Department Multi- Tasking Staff (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for Group 'C' post of Multi-Tasking Staff (MTS) in the commissionerates under the control of Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Indirect Taxes and Customs Commissionerates Multi-Tasking Staff (MTS) (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Special Provision.— (1) Each Cadre Controlling Authority (CCA) shall have its own separate Cadre, unless other-wise prescribed by the Central Board of Indirect Taxes and Customs.

(2) Sanctioned strength of National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics directorate is borne on and drawn from Cadre Controlling Authority of the respective zone.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff.	506* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1in the Pay Matrix (Rs.18,000-Rs.56,900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institution.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: (I) Single Commissionerate i.e. having no common cadre or Directorates:	Not applicable.
(1) Additional Commissioner at Headquarters office to be nominated by the Cadre Controlling Authority – Chairman; (2) Deputy Commissioner, preferably senior most at Headquarters office to be nominated by the Cadre Controlling Authority – Member; (3) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income- Tax to be nominated by the Commissioner of Income-Tax – Member. (II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre: (1) Additional Commissioner from each of the Commissionerates subject to maximum of three to be nominated by the Cadre Controlling Authority by mutual consultation with Commissioner concerned, the senior most among them would be	

the Chairman; (2) Deputy Commissioner, preferably senior most at Headquarters office to be nominated by the Cadre Controlling Authority – Member; (3) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income- Tax to be nominated by the Commissioner of Income-Tax – Member.	

[F. No.A.12018/03/2012-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.28 17:08:41 +05'30'